

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक:- 08/4/26

विषय:- पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित की गयी राशि का समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित की गयी राशि का समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाना है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित की गयी राशि का समेकित उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (BTC Form-42A) में वांछित अभिलेखों के साथ एक सप्ताह के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनु०- (BTC Form-42A)

विश्वासभाजन,

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

15

BTC- 42A

OFFICE OF THE _____
UTILIZATION CERTIFICATE
(See Rule 271)

Major Head	—	Treasury Code	:
Sub Major Head	—	DDO Code	:
Minor Head	—	Bank Code	:
Sub Head	—	Bill Code	:

UTILIZATION CERTIFICATE No/ Bill No. _____, Date _____ OFFICE _____

10. Certified that out of Rs. _____ (_____) of Grants-in-aid sanctioned during the year _____ in favor of _____ Under this Department Letter No. given in the table below and Rs. _____ On account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. _____ (_____) in FY _____ has been utilize for the purpose for which it was sanctioned and that the balance of Rs. _____ Remaining unutilized at the end of the FY _____ has been surrendered to the Govt. vide letter no _____ dated _____ will be adjusted towards the grants-in-aid payable during the next financial year.

J. For the Grant to Government Officers for various schemes.

Certified that the remaining undrawn grant amount Rs. _____ (In words) has been surrendered vide letter no _____ dated _____ and the remaining drawn grant amount Rs _____ has been deposited in the treasury vide challan No _____ dated _____ has been sent along with the surrender letter.

2. Kinds of checks exercised (Audited Accounts, Cash Book, Asset Register, Distribution Register, Stock Register, Purchase Register etc.)
- I. Audited Account Report by _____
 - II. Cash Book
 - III. Received UC from _____
 - IV. Asset Register
 - V. Advice Order Copy
 - VI. Cheque Issue/ Receipt Register

3. Particulars of Grants-in-aid

S. No.	Sanction/ Allotment Letter No. and Date	Name of the grantee Institution/ Office	Purpose of the grant name of Scheme	Bill No. Date	Amount of grants drawn	T.V No & Date	Amount UC	Balance Amount	Amount Surrendered (With letter no. & Date) / SNA Refund	Challan No. & Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Signature & Designation
Grantee Agency/ Institution/Office

This is certified that -

1. Audited Accounts Report has been obtained from the Grantee Agency/ Institution & the same has been kept in this office.
2. This Grantee Agency/ Institution has been exempted from producing Audited Accounts Reports & in this case, Utilization Certificate is being counted on the basis of checking of Audit Report.

Counter Signature & Stamp by
Sanctioning Authority/ off. authorized by him

Signature & Stamp of Drawing & Disbursing
Officer for the Grant-in-Aid

Annexure - A

संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाला Check List

विवरण	2	3	4	5	6
<p>मद का नाम:</p> <p>स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि:</p> <p>आवंटनादेश संख्या एवं तिथि:</p> <p>उपयोगिता की राशि:</p> <p>प्रत्यार्पण की राशि:</p> <p>कुल राशि:</p>		निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का प्रमाण-पत्र (हॉ करना है)।	राज्यादेश / स्वीकृत्यादेश निर्गत करने वाले पदाधिकारी अथवा नामित पदाधिकारी द्वारा जाँच करने पर डी.डी.ओ. का प्रमाण-पत्र सही पाया गया या नहीं, सही पाये जाने पर हॉ करना है अन्यथा नहीं करना है।	महालेखाकार कार्यालय द्वारा प्रारंभिक जाँच में पदाधिकारियों का प्रमाण-पत्र सही पाया गया या नहीं, सही पाये जाने पर हॉ करना है अन्यथा नहीं करना है।	अभ्युक्ति
<p>उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग के माध्यम से प्राप्त है।</p> <p>Utilization फार्म 42 A में है एवं दिनांक 01.10.2011 अथवा बाद के मामले में वित्त विभाग के पत्रांक 131/2011 दिनांक 07.02.2014 के द्वारा संशोधित फार्म में है।</p> <p>Utilization Certificate Sanctioning Authority द्वारा हस्ताक्षरित है। (नामित होने के मामले में संबंधित प्रादेश की प्रति संलग्न होनी चाहिए)।</p> <p>इस कार्यालय में उपलब्ध डाटाबेस के अनुसार T.V No & Date से राशि का मिलान किया गया है। मिलान होने की स्थिति में कोषागार का प्रमाण-पत्र अथवा C.A. S प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति संलग्न है।</p> <p>Utilization प्रत्येक के विरुद्ध अलग-अलग Sanction दिया गया है।</p> <p>D.D.O. एवं Grantee Agency/ Institution Utilisation Certificate पर हस्ताक्षर स्वीकृत्यादेश अनुरूप है।</p> <p>Utilization Certificate Form 42 A पर सूचनाएं पूर्ण रूप में अंकित है।</p> <p>स्वीकृत्यादेश के अधीन सभी आवंटनादेश संलग्न हैं।</p> <p>स्वीकृत्यादेश जो सहायक अनुदान से संबंधित है, संलग्न है।</p> <p>स्वीकृत्यादेश से संबंधित सभी उपयोगिता प्रमाण-पत्र समेकित राशि T.V No & Date के साथ है।</p> <p>Kinds of check Exercise में सूचना पूर्ण रूप से अंकित है।</p> <p>दिनांक 01.10.2011 अथवा बाद के मामलों में A & B Column की बिन्दु (1) एवं (2) में किसी एक का चयन किया गया है।</p> <p>समर्पित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि का A & B में मिलान किया गया है।</p>					
		डी०डी०ओ० का नाम हस्ताक्षर, तिथि तथा मुहर	राज्यादेश / स्वीकृत्यादेश निर्गत करने वाले पदाधिकारी अथवा नामित पदाधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, तिथि तथा मुहर	महालेखाकार कार्यालय का पदाधिकारी का नाम, हस्ताक्षर, तिथि तथा मुहर	
<p>उपर्युक्त बिन्दुओं को जाँचनेवाले सहायक आंतरिक सलाहकार का नाम, हस्ताक्षर एवं मुहर</p>					नाम हस्ताक्षर तिथि

टैपिंगी-प्रत्येक उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ प्रारंभिक जाँच के बाद तत्काल इसका महालेखाकार कार्यालय में समर्पित किया जायेगा। प्रतिनिधि प्राप्ति के साथ ही इसे संबंधित अ...

प्रतिवेदन को तीन प्रतियों में संलग्न कर महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय में समर्पित किये जाने पर प्राधिकृत आंतरिक वित्तीय सलाहकार को प्राप्त कराया जायेगा। सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की पावती के रूप में प्रशासी विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं अन्य दो प्रतियों के साथ इसे वित्त विभाग के लिस्ट की तीनों प्रतियों पर आई०डी० नं० अनिवार्य रूप से अंकित होगा। महालेखाकार कार्यालय के द्वारा प्रारंभिक जाँच के बाद तत्काल इसका महालेखाकार कार्यालय में समर्पित किया जायेगा। प्रतिनिधि प्राप्ति के साथ ही इसे संबंधित अ...